

तारीख
हुक्म

25⁰¹/
23

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी
वादी वकील के ले कोर्ट उपस्थित
न्यायालय के बाहर-बाहर आवाज
लावाने के वावजूद सॉप 5-00
बजे तक वादी एवं वादी वकील
में ले कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ।
मूलवाद अदम हाजिर एवं अदम
पैरवी में खारिज हो चुका है।
मूलवाद का निस्तारण हो जाने के
सा.पत्र 212 RT Act का कोर्ट
औपचारिक नहीं रहना।

अतः सा.पत्र 212 RT Act
की कार्यवाही सॉप की जाती है।
पत्रावली जैमल शुभार हो कर
रजिस्टर ले कर की जावे।
जैमल मूलवाद है।


S D O